श्रीमान दिग्विजय सिंह जी,

सस्नेह वंदे। आपका खुला पत्र मिला। धन्यवाद।

आपने पत्र में लिखा है कि, ''मैं रालेगण सिद्धी गांव में आया था, जलग्रहण शिक्षा, पर्यावरण रक्षा और नशाबंदी का काम देख कर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे आपके नसबंदी, नशाबंदी, चराई बंदी, कुल्हाड बंदी और श्रमदान ये नारे याद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने आपको राज्य योजना बोर्ड का सदस्य बनने के लिये निमंत्रित किया।'' आपने यह भी कहा है- ''आप मध्य प्रदेश में आये और गांव गांव जाकर पानी रोको काम का मार्गदर्शन किया।''

मैं आपसे नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस देश का उज्वल भविष्य बनाने के लिए जलग्रहण क्षेत्र का कार्यक्रम एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है। ग्रामविकास, जलग्रहण क्षेत्र विकास का महाराष्ट्र में जो काम किया गया वह यदि पूरे देश में हो तो हमारा देश सुजलाम् सुफलाम् बनेगा, यह मेरी धारणा है। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते थे देश को बदलने के लिए पहले गांव को बदलना पडेगा। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री यदि आस्था रख कर इस काम को कर रहे हैं, तो मैंने भी अपना समय देना जरूरी है, यह सोच कर मैंने मध्यप्रदेश के लिए करीब दस साल समय दिया था।

आपकी सरकार से या अन्य लोगों से मैंने कोई भी लाभ नहीं उठाया था। निष्काम भाव से देश की सेवा समझ कर मैंने यह समय दिया था। अगर आप मध्य प्रदेश में इस काम को पूरे मनो भाव से करते तो शायद आपको हटाने का प्रयास जनता ने नहीं किया होता। आज भी आप कांग्रेस पार्टी के महासचिव बन कर कार्य रत हैं, आपके पास अधिकार भी है, लेकिन देश में इस काम को जिस लगन से किया जाना चाहिए था उस लगन से आप और आपकी पार्टी नहीं कर रहे हैं इस बात का मुझे दुःख होता है। मैं सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं कहता हूँ, ग्रामविकास काम को गति देना ज़रूरी है और ऐसे विकास कामों में भ्रष्टाचार का जो परकोलेशन लगा है, एक रुपये में से दस पैसे भी गांव में नहीं जा रहे हैं, उसे रोकना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों बातें जब तक नहीं होती तब तक देश को उज्वल भविष्य नहीं मिलेगा। ऐसी मेरी धारणा है।

आज काँग्रेस पार्टी में मुझे दोनों बातों का अभाव दिखाई देता है। आज़ादी के 64 साल में हमने महाराष्ट्र में कई राळेगण सिद्धी खडे किये हैं। आपकी सरकार ने ऐसे कितने गांव खडे किये हैं, कि उन गांवों में गांव के लोगों को हाथ के लिये काम, पेट के लिये रोटी गांव में मिल जाने के कारण गांव के लोग शहर की तरफ नहीं जा रहे हैं? गांव में अपनी ही खेती पर काम का निर्माण हो गया है। गांव की अर्थ नीति बदल गई है? आपकी पार्टी ने ग्रामविकास कार्यक्रम पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार रोकने की जो कोशिश होनी चाहिए थी उसमें भी 64 साल में कोई कठोर कानून नहीं बनवाया गया, इसे नकार नहीं सकते हैं।

आपने दावा किया है कि सूचना का अधिकार कानून हमारी पार्टी ने किया है। लेकिन या तो आपको शायद पता नहीं या पता होते हुए भी जान बूझ कर टाला गया हो, 1995 में सूचना का अधिकार कानून बनाने का आंदोलन महाराष्ट्र में शुरु हुआ। लगातार आठ साल चला यह आंदोलन महाराष्ट्र के गांव गांव तक पहुंच गया। सरकार कानून नहीं बनाती इसलिए ''करेंगे या

मरेंगे'' इस इरादे के साथ मुंबई के आज़ाद मैदान में 9 अगस्त 2003 को क्रांति दिन के अवसर पर मैं अनशन पर बैठ गया और अनशन के 12 दिन के बाद राष्ट्रपति जी ने इस कानून पर हस्ताक्षर करने पर महाराष्ट्र में 2002 से ही यह कानून लागू किया गया।

इस कानून के मसौदे को आधारभूत रख कर 2005 में भारत सरकार ने 'सूचना का अधिकार' कानून देश भर में लागू किया। आप कहते हैं, हमारी पार्टी और पार्टी की सरकार ने यह कानून लागू किया। तो प्रश्न खडा होता है कि इस कानून को बनाने में आज़ादी के 58 साल बीत जाने का कारण क्या था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव था ऐसा कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि, महाराष्ट्र में 2002 में बनाए गए कानून के मसौदे और 2005 में केन्द्र में बनाये गए कानून के मसौदे में कोई ज़्यादा अन्तर नहीं है।

2005 में सूचना का अधिकार कानून बन तो गया लेकिन सिर्फ दो साल के भीतर ही आपकी सरकार ने इस कानून के कुछ महत्व पूर्ण मुद्दे कानून में से हटाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया। और इस कानून का आत्मा ही निकाल देने वाले मुद्दे हटा कर संसद में संशोधन प्रस्ताव ला कर इस कानून को कमजोर करने का प्रयास किया था। आज़ादी के 58 साल बाद भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक रोक लगाने के लिए जनता के हाथ में एक कारगर हथियार मिला था । लेकिन इस हथियार को निकम्मा करने का प्रयास आप ही की सरकार ने किया था। इस लिए दि. 09 अगस्त 2006 को पुणे के पास आळंदी में श्री संत ज्ञानेश्वरजी की समाधि पर इस कानून में बदलाव नहीं किया जावे इस लिए मैं अनशन पर बैठ गया था। जनता के साथ हो रही इस धोखा धडी को समझ कर देश की जनता रास्ते पर उतर आई थी। देश में बडा आंदोलन खडा हो जाने के कारण प्रधान मन्त्रि मनमोहन सिंह साहब ने अपने मन्त्रि श्री. पृथ्वीराज चव्हाण को आळंदी में भेजा और सूचना का अधिकार कानून में कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा यह आश्वासन मिलने के बाद मैंने अनशन को आठ दिन बाद समाप्त किया था । और इस तरह सूचना का अधिकार कानून प्रभाव हीन होने से बच गया था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि, सूचना अधिकार के लिए भी सरकार की नीयत साफ नहीं थी।

आप चिठ्ठी में लिखते हैं कि, काँग्रेस और अन्य दलों के भीतर फ़र्क करना चाहिए। मुझे और साथ में जनता को भी यही लगता है कि कुछ पार्टियाँ भ्रष्टाचार के बारे में मानो ग्रैज्युएशन की पढाई कर रही हैं, तो किसी ने ग्रैज्युएशन कर लिया है, तो किसी ने भ्रष्टाचार में डॉक्टरेट पाई है। फ़र्क ही करना हो तो इतना ही फ़र्क दिखाई देता है। कौन सी पार्टी साफ है यही बडा सवाल है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों शहीदों ने जो कुर्बानी दी है, उनके बलिदान की याद कई पार्टीयों में नहीं रही, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं रहा, न तो सेवाभाव रहा। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता गर्दिश में बहुत सी पार्टियाँ घूम रही हैं। इसी के कारण देश की यह हालत बनी है।

आपको लगता है कि, काँग्रेस पार्टी बेदाग है। आज काँग्रेस के कई मंत्री जो जेल में जो बन्द हैं, तो क्या आपकी सरकार को यह पता नहीं था कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं? लेकिन भ्रष्टाचारी लोगों को साथ में लिए चलने की आदत जो पड गई थी। इसी कारण देश में भ्रष्टाचार बढ गया है। ऐसी स्थिति में काँग्रेस पार्टी में और दूसरी पार्टी में फ़र्क ही क्या रहा?

अगर आपको संदेह है तो देश की जनता का जनमत लेने से आपका संदेह दूर हो सकता है। यदि आपकी पार्टी और सरकार को भ्रष्टाचार निर्मूलन करने की इच्छा दिल से होती तो 42 साल में छ: बार जनलोकपाल बिल संसद में पेश हो कर भी क्यों पास नहीं हुआ? स्पष्ट है कि, देश का भ्रष्टाचार मिटाने की इच्छा शक्ती का अभाव आपकी पार्टी में साफ दिखाई दे रहा है ।

दिया तले हमेशा अन्धेरा ही होता है। ठीक ऐसी ही स्थिति आपकी पार्टी की हो गई है। आपने चिठ्ठी में लिखा है कि, ''आज़ादी के बाद कानून बनाने के लिए गैर सरकारी सदस्यों के साथ मंत्रियों की संयुक्त समिति देश में कभी नहीं बनाई थी।'' यही तो बडा दोष है । ''आपके आंदोलन के कारण सरकार ने संयुक्त समिति का स्वीकार किया।'' आप जनता को गैर सरकारी समजते हैं, लेकिन संसद की जननी कौन है? जनता ही ने संविधान के तहत संसद बनाई है। 26 जनवरी 1950 में गणतन्त्र दिवस मनाया गया, उस दिन से प्रजा का स्थान बहुत ऊंचा हो गया है। जनता इस देश की मालिक बन गई है, मालिक ने विधायक और सांसदों को अपने प्रतिनिधि के नाते विधानसभा और लोकसभा में भेजा है।

आज़ादी के बाद ऐसी संयुक्त समिति नहीं बनाई गई यही तो सरकार की गलती रही, ऐसा हमें लगता है। हमें इस बात का दुख होता है कि, एक तरफ हम देश में लोकशाही की बात करते हैं, लोगों ने, लोगों के लिए, लोक सहभाग से चलाई हुई शाही यही अगर लोकशाही का अर्थ है तो देश में समाज और देश की भलाई के लिए जो कानून बनते हैं, वे लोक सहभाग से ही बनने चाहिए। अंग्रेज़ों का तो मकसद ही भारत को लूटना था, इस लिए उन्होंने लोक सहभाग नहीं लिया था । अब अँग्रेज़ों के कानून नियम इस देश में रखने की क्या जरूरत है? जो समाज, देश के लिए कुछ अच्छी बातें हैं, उनका अवश्य स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों के सभी कानून नियम, स्वतंत्रता में अपनाने की कोई जरूरत नहीं ऐसा आपकी पार्टी को क्यों नहीं लगता? यही दुर्भाग्य की बात है ।

आज देश में भ्रष्टाचार बेहद बढ गया है। कई कारण हैं, लेकिन जनता की तिजोरी में जमा होने वाला पैसा उनका है, वह पैसा खर्च करते समय उनका सहभाग लेकर ही उसे खर्च करना चाहिए था। वैसा नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार बढ गया है। आप सम्भवत: इस बात को भूल गए हैं कि, 73 वें व 74 वें संविधान संशोधन में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनता के हाथ में अधिकार सौंपने हेतु तत्कालीन प्रधान मन्त्रि स्व.राजीव गांधी जी ने देश की साढे पाँच लाख ग्राम पंचायतों को चिठ्ठी लिख कर सबकी राय माँगी थी।

जन सहभाग लेना जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकशाही का अभिन्न अंग है, इसी से जनतंत्र, लोकशाही को मज़बूती मिलेगी, यह बात स्व. राजीव गांधी जी की समझ में आई थी। और आप कहते हैं कि अब तक गैर सरकारी लोगों को नहीं लिया गया। क्या

आप यह कह सकते हैं कि सत्ता के विकेंद्री करण में जनसहभाग लेने का स्व. राजीव गांधी जी का निर्णय गलत था? अगर नहीं तो कृपा कर 'गैर सरकारी' शब्द को अपने विचारों से हटा दीजिए। अन्यथा लोकशाही कमजोर होगी।

आप शायद इस बात को भी भूल रहे हैं कि जब आप मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रि थे और ग्रामसभा को ज़्यादा अधिकार देने का कानून बनाना था तब आपने सरकारी लोगों के साथ ही साथ मेरे जैसे सिविल सोसाइटी के कई लोगों को कमेटी में सदस्य बना कर कानून बनवाया था । उस वक्त आपको क्यों नहीं लगा कि गैर सरकारी लोगों को समिति में क्यों लिया जाए? अभी ऐसा कौनसा चमत्कार हुआ कि आपको सिविल सोसायटी गैर सरकारी लग रही है । आपके यह विचार देश को आगे बढाने वाले नहीं हैं। देश को पीछे ले जानेवाले हैं। इसी कारण कभी लगता है कि, अब काँग्रेस देश को उज्वल भविष्य नही दे पाएगी क्यों कि सोच ही गलत है ।

बविष्य में देश, समाज और राज्यों की भलाई के लिए जो भी कानून बनाये जाएंगे वे जन सहभाग ले कर ही बनाने चाहिए । विधान सभा और लोक सभा कानून बनाने वाली सभा है। राज्य में जनता ने विधायकों को अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा है और संसद में सांसद को भेजा है। तो कानून बनाते समय जो मसौदा बनाया जाता है उसे संयुक्त समिति बनवा कर ही बनाना चाहिए। तभी सही कानून बनेंगे। 63 साल की पुरानी आदत को बदलने के लिए थोडा समय तो लगेगा लेकिन महासचिव होने के नाते आपको आपकी पार्टी में लोकशाही का जागरण करने की जरूरत है ऐसा हमें लगता है।

आपने यह भी लिखा है कि, हमारी सरकार और काँग्रेस पार्टी ने पूरी ईमानदारी के साथ लोकपाल कानून बनाने का वादा किया है। मुझे कहते हुए दुख होता है कि, अगर वादा किया है तो निभाते क्यूं नहीं? अगर ईमानदारी के साथ आपकी सरकारने वादा किया है, तो संयुक्त समिति के सिविल सोसायटी के सदस्यों पर झूठे आरोप लगाने का क्या कारण है? शांति भूषण, प्रशांत भूषण, डॉ. संतोष हेगडे साहब, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और मेरे उपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। क्या यही है आपकी सरकार की ईमानदारी?

मेरे गांव राळेगण सिद्धी में कई लोगों को भेज कर कुछ गडबडियाँ कराने के भी संकेत मिलते हैं। क्या यह कोशिश की गई है? मेरे जीवन में मैंने छोटा सा भी दाग नहीं लगने दिया। तो आपके लोगों को गलत खोज करके क्या मिलेगा? क्या यही है आपकी सरकार और पार्टी की ईमानदारी?

आपकी पार्टी के प्रवक्ता श्री. मनीष तिवारी ने बडे आवेश के साथ कहा था, अण्णा तो सर से ले कर पैर तक भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, उनको दूसरों के भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब हमने कहा कि, ज़्यादा नहीं हमारा सिर्फ सौ (100) रुपयोंका भ्रष्टाचार दिखा दें तो जो कहेंगे वह मान लेंगे। तब अपनी गलती को उन्होंने मान लिया और माफी मांगी। क्या यही है आपकी पार्टी की ईमानदारी?

जनलोकपाल कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए जो संयुक्त समिति बनाई थी, उसकी पहली मीटींग में ही सिविल सोसाइटी के ड्राफ्ट में से कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा करनी है, इस पर विचार हुआ। सिविल सोसायटी ने अपने मुद्दे दे दिए। कुछ मुद्दों पर

चर्चा भी हुई। लेकिन जब नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारियों को लोकपाल के दायरे में लाना है, जुडीशियरी (न्यायपालिका) की जाँच करने के अधिकार लोकपाल को होने चाहिए, जनता की सनद में अधिकारियों ने जनता का काम करने की अवधि निश्चित करना और उतनी अवधि में नहीं किया तो सम्बन्धित अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही, हर राज्य में लोकायुक्त कानून बनाना, इस प्रकार के दस-ग्यारह (10 से 11) मुद्दों पर चर्चा शुरु हो गई तो, सरकार के सदस्य मंत्रि इन बातों से मुकर गए कि ये बातें हम नहीं करेंगे, जो सरकार का ड्राफ्ट है उसी पद्धति का कानून बनायेंगे। फिर यह भी कहा गया कि सरकार का ड्राफ्ट और आपका ड्राफ्ट हम कैबिनेट में भेज देंगे और प्रत्यक्ष कैबिनेट में सरकार का बना केवल एक ही कमजोर ड्राफ्ट जो भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकता उसे पेश किया गया। ढाई महीने ज्वाईंट कमेटी की मीटिंगें चलीं और आखिर में केवल एक ही सरकारी ड्राफ्ट कैबिनेट में रखा, यही आपकी सरकार की ईमानदारी है।

ज्वाईंट कमेटी बनाने से पहले सरकार का और सिविल सोसाइटी का ड्राफ्ट तैयार था। अगर सरकारी ड्राफ्ट ही कैबिनेट में रखना था तो संयुक्त समिति बनाने का उद्देश्य ही क्या था? तीन महीनों का सबका समय नाहक बरबाद हुआ, कमेटी पर खर्च किया गया जनता का पैसा का फिजूल में खर्च हो गया। क्या यही है आपके सरकार की ईमानदारी?

इसी वर्ष जुलाई महीने में पुणे में आपही ने कहा था कि काँग्रेस पार्टी श्री कलमाडी तथा श्री अशोकराव चव्हाण का समर्थन करती है। अगर यह सच है तो क्या यही काँग्रेस पार्टी की ईमानदारी है?

रामदेव बाबा और सरकार के कोई भी मतभेद हो सकते हैं। लेकिन रामलीला मैदान में रात के देढ बजे सोये हुए निष्पाप महिला और बच्चों पर जो लाठी चार्ज किया गया, इस में आपकी सरकार ने कौन सा पुरुषार्थ किया? पूरी दुनिया में जिसकी थू थू हो गई है, क्या यही है आपकी सरकार की ईमानदारी?

जनलोकपाल कानून बन जाए इस लिए मैंने अनशन के लिए दिल्ली में जगह मांगी थी। कारण संविधान ने हर व्यक्ति समूह के लिए अन्याय, अत्याचार के विरोध में आंदोलन करने के अधिकार दिया है । लेकिन आपकी सरकारने दिल्ली में सभी जगह पर धारा 144 लागू कर दी, कोई भी जगह नहीं बताई। दि. 16 अगस्त को सबेरे साढे छह बजे पुलीस मेरे घर में आई और कोई कारण ना देते हुए मुझे कैद किया । क्या यही है लोकशाही? मुझे तिहाड जेल में ले जाया गया। साढे चार बजे मुझे कमरा दिया, कपडे दिये और साढे छह बजे आदेश आया लि आपको रिहा कर दिया है। मुझे आश्चर्य लगा कि दो ही घंटों में सरकार को ऐसा कौनसा साक्षात्कार हुआ कि, जेलसे मुझे रिहा किया जा रहा है? मैंने जेलर से कहा कि मैं तब तक जेल से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मुझे अनशन की जगह नहीं बताते और सरकार को मजबूरन रामलीला मैदान की जगह बतानी पडी। बिना कोई कुसूर के मुझे जेल में डाला, क्या यही है आपकी सरकार की ईमानदारी?

आपने एक बचकाना सा सवाल किया कि, ''इन्दौर में 'मैं हूं अण्णा' की टोपी पहन कर एक मंत्रि और एक विधायक ने आपके आंदोलन में हिस्सा लिया, ये दोनों ही दागी हैं।'' मैं यह बताना चाहता हूं कि, देश में लाखों, करोडों लोगों ने

आंदोलन किया, जिन्हें न मैं नहीं जानता और न ही वह मुझे जानते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे कैसा पता चलेगा कि कोई अच्छा है या बुरा है?

आपने मुझे राजनीति में आने की सलाह दी है, लेकिन मैंने तय किया है कि, शरीर में प्राण है तब तक किसी भी पक्ष और पार्टी की राजनीति में नहीं जाऊंगा। सिर्फ सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता इस होड में आज बहुतेरी पार्टीयाँ लगी हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण रख कर कार्य करने वाली पार्टी कहाँ दिखाई दे रही है? इस लिए मेरा निश्चय है कि, किसी भी पक्ष और पार्टी के नजदीक नहीं जाना है। लेकिन कई पक्ष और पार्टी में जो लोग आज़ादी का मतलब स्वैराचार लगा कर चल रहे हैं, उनके कारण लोकशाही खतरे में आ गई है। ऐसे लोगों पर जन शक्ति का अंकुश (दबाब) निर्माण करने के रास्ते से ही मजबूत और स्वस्थ लोकशाही का निर्माण होगा ऐसी मेरी धारणा है।

आपने मुझे बीजेपी और संघ परिवार से जोडने का प्रयास किया है। आपको या तो पता नहीं होगा या जान कर भी आप अनजान बन रहे हों। महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके गठबन्धन के सहयोगी छह कैबीनेट मंत्रियों को हमारे आंदोलन के कारण घर जाना पडा है, कई अफसर घर गए हैं, इतना नहीं तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिर गई थी। आपको यह जानकारी होते हुए भी आपकी तरफसे जनता को गुमराह करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? मेरा तो यह दावा है कि बीजेपी और काँग्रेस आपस में मतभेद दिखा कर जनता को भुलावे में डाल रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में कोई विशेष फर्क नहीं दिखाई देता है। आपको अगर लगता है कि, काँग्रेस को वोट मत दो ऐसा प्रचार करने से बीजेपी को लाभ होगा, काँग्रेस उनको ऐसा लाभ उठाने का मौका क्यों दे रही है? जनलोकपाल और लोकायुक्त कानून अगर शीघ्र बनते हैं तो क्या उनको लाभ नहीं होगा?

आज देश का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लालकृष्ण अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली है। जब हम कहते हैं कि, हर राज्य में लोकायुक्त बिल लाना है, तो जिन राज्यों में काँग्रेस और बीजेपी की सरकारें हैं, उन राज्यों में कठोर लोकायुक्त बिल कानून बना कर उसका अमल करेंगे तो देश का भ्रष्टाचार बहुत कम होगा। लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दोनों ही पार्टियों की अंदर की आवाज नहीं निकलती, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दोनों ही पार्टियों में मुझे फर्क नहीं दिखाई देता और काँग्रेस पार्टी जनलोकपाल बिल और लोकायुक्त बिल का कानून बनाने में टालमटोल कर रही है, इस लिए कहा कि काँग्रेस को वोट मत दो, लेकिन यूं भी तो नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो। चरित्रवान उम्मीदवार देख कर वोट दो, भले ओ सत्ता पक्ष में बैठे या विपक्ष में।

आपने यह भी लिखा है कि, भारतीय जनता पार्टी ने अब आपको देश के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का सब्ज़बाग दिखाया है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के प्रेस में खबर थी कि अण्णा को आंदोलन करने से रोकने के लिए काँग्रेसने अण्णा को राष्ट्रपति बनाने की चर्चा चल रही है। न तो राष्ट्रपति बनने की मेरी पात्रता है और न ही दिल में राष्ट्रपति बनने की इच्छा, समझमे नहीं आता कि ऐसे में क्यों काँग्रेस वाले और बीजेपी वाले हवा में तीर चला रहे हैं?

मैं अगर राष्ट्रपति बन भी जाऊं तो आज समाज और देश के लिए गांव-गांव में जो कुछ थोडा बहुत कार्य कर पा रहा हूं, वह भी मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीते जी मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत और महात्मा गांधीजी के सपनों के ग्रामीण भारत को देखना चाहता हूं। यह काम देश के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐसी मेरी धारणा है। आज तक 35 साल में मैंने कोई व्यक्ति, पक्ष, पार्टी के विरोध में आंदोलन नहीं किया है, कोई भी पक्ष हो पार्टी हो उन में देश के लिए जो घातक प्रवृत्ति है उसके विरोध में आंदोलन किया है ।

35 साल में काँग्रेस पक्ष के विरोध में आंदोलन नहीं किया था। लेकिन काँग्रेस पक्ष में कई लोग ऐसे भी हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए उनकी नीयत साफ नहीं है। जनलोकपाल और लोकायुक्त कानून बनाने की नीयत साफ नहीं है। भ्रष्टाचार से देश बरबाद हो गया है, और ज़्यादा बरबादी ना हो इस लिए यह कहना पड रहा है कि काँग्रेस को वोट मत दो ।

अगर आपकी पार्टी शीतकालीन अधिवेशन में जनलोकपाल बिल लाती है और हर राज्य में लोकायुक्त कानून बनाने की पुरज़ोर कोशिश करती है, सिविल सोसाइटी का मसौदा और आपकी सरकार के पास आए हुए मसौदों में से भ्रष्टाचार को रोकने वाले मुद्दे ले कर कठोर कानून बनाती है, तो न तो हमें आंदोलन करने की जरूरत है, न ही किसी पक्ष पार्टी विशेष को वोट मत दो यह कहना पडे। बार बार अनशन करनें में हमें कोई खुशी नहीं है ।

आपने पत्र में लिखा है आपने जो अनशन किया वह इतना गंभीर विषय नहीं था । आज गरीब लोगों को जीवन जीना भ्रष्टाचार के कारण मुशकिल हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी जायें, पैसे दिये बिना उनका काम ही नहीं होता है, अपने काम के लिए बार बार चक्कर काटते रहते हैं, एअर कंडीशण्ड में रहने वालों को उनका दर्द कैसे पता चलेगा? प्रसूति की वेदनाओं का अनुभव गर्भवती को ही होता है, बांझ कैसे यह वेदना(दर्द) समझ पायेगी?

आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में लिखा है, और उसमें लिखा है कि सरसंघचालक श्री. भागवत ने कहा है कि, इस आंदोलन को हमारा समर्थन है। मैं ईश्वर को मानने वाला होने के कारण ईश्वर को साक्षी रख कर कहूंगा कि रामलीला मैदान में आर.एस.एस का एक भी कार्यकर्ता बारह दिन में एक बार भी मुझे आ कर मिला नही, ना मेरे आंदोलन मे दिखाई दिया। अगर श्री. भागवत ने कहा हो कि अण्णा के आंदोलन में हम सहभागी थे तो जैसे आपकी पार्टी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है वैसे ही आर.एस.एस. भी मेरी बदनामी की कोशिश कर रही है ऐसे मैं मानता हूं । या तो आप दोनों ने मिलजुल कर मेरी बदनामी की कोशिश चलाई होगी।

मेरा मानना है कि आपकी क्या पार्टी, क्या बीजेपी, क्या आर.एस.एस., कोई मेरी कितनी भी बदनामी की कोशिश करें सत्य हमेशा सत्य होता है ।

सत्य के मार्ग पर चलने वाले के सामने कठिनाई आती है, बदनामी सहन करनी पडती है लेकिन इतिहास गवाह है कि सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। मैं सच्चाई के मार्ग पर चल रहा हूं। तीस साल से समाज और देश की भलाई के लिए मैं बदनामी झेलते आया हूं और आगे भी बदनामी सहन करने की तैयारी रखी है। जिस पेड पर फल होते हैं उसी पेड पर लोग पत्थर मारते

हैं, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जिस रंग का चष्मा हो उसी रंग की दुनिया दिखाई देती है । इस आंदोलन की तरफ देखते हुए ऐसा लगता है कि, आपका चष्मे का रंग गलत है, चष्मा बदलना चाहीए ।

हमारे आंदोलन को शिकस्त (शह) देने के लिए आप आरएसएस के सुरेश भैय्या का पत्र जनता को दिखा रहे हैं, ऐसे पत्र का सबूत आप बना रहे हैं। मेरे पास हर दिन 150 से 200 पत्र आते हैं, कई पक्ष और पार्टियों के लोगों ने भी इस आंदोलन की सराहना की है। आनेवाले पत्र को आप सबूत मान रहे हैं। हमें बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच कर ऐसे पत्र कोई नहीं भेज सकता? सबूत तो वह हो सकता है, जब ऐैसे पत्र को मैंने जवाब दिया है और उस पत्र में हमारा संबंध है, ऐैसा कोई पत्र है तो सबूत हो सकता है। देश की जनता को बीजेपी, काँग्रेस, आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश जब तक आप और आपकी पार्टी–सरकार नही करेंगे तब तक इन झूठी बातों का जनता पर कोई असर नहीं होगा, इसका अनुभव आपके बडे बडे नेताओंने किया है ।

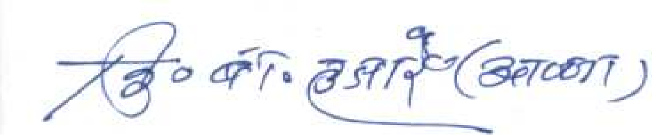

(कि.बा तथा अण्णा हजारे)

स्थळ:– राळेगणसिध्दी

दिनांक:–13 अक्तूबर 2011